Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.4, November, 2024

स्त्री-पुरूष असमानता व महिला सषक्तिकरण

आकाश भारती
शोधार्थी - समाजषास्त्र
एम. जे. पी. रूहेलखण्ड विष्वविद्यालय, बरेली

****

Abstract: *स्त्री-पुरुष असमानता और महिला सशक्तिकरण विषय पर यह अध्ययन समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के कारणों, प्रभावों और इसके समाधान के रूप में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर केंद्रित है। लैंगिक असमानता ने ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को पुरुषों के समान अवसरों से वंचित किया है। यह असमानता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। महिला सशक्तिकरण इस असमानता को दूर करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, कानूनी अधिकारों की जागरूकता और सामाजिक मानसिकता में बदलाव शामिल है। यह शोध महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं, चुनौतियों और इसके सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है।.*

Keywords: - *स्त्री-पुरुष असमानता, लैंगिक असमानता, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन*

****

परिचय:

लैंगिक असमानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग लिंग नहीं हो सकता बल्कि इसका अभिप्राय लिंग के आधार पर स्त्री-पुरूष में किये जाने वाले भेदभाव से है। जिस प्रकार तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित रहता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी समाज या राष्ट्र में संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवष्यक है कि वहाँ स्त्रियों व पुरूषों के मध्य लैंगिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। आज आधुनिकता की जीवनषैली को अपनाने के बावजूद भी भारतीय समाज लैंगिक समानता के मामले में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। सही मायनों में देखा जाए तो लैंगिक समानता का ना होना ही 'समाज में असंतुलन' व 'अपराध' को जन्म देता है।

लैंगिक असमानता का अर्थ:

जब लिंग के आधार पर स्त्री व पुरूष में भेदभाव किया जाता है तो उसे ही 'लैंगिक असमानता' कहते हैं। दूसरे षब्दों में कहा जाए तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना है, जहाँ स्त्रियों को न तो पुरूषों के समान अवसर मिलता है और न ही समान महत्व या व्यवहार। स्त्रियों को केवल एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है व उनका षोषण अथवा अपमान किया जाता है।

लैंगिक असमानता के कारण:

लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:-

1. पितृसतात्मक समाज:

पितृसतात्मक समाज का अभिप्राय उन समाजों से है जहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। साथ ही स्त्रियों को निम्न समझा जाता है। इन समाजों

में स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है व स्त्रियों को दयनीय स्थिति प्रदान की जाती है।

2. शिक्षा का अभाव:

शिक्षा के अभाव के कारण भी स्त्री व पुरूष में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अषिक्षित लोग पुरूषों को ही श्रेष्ठ मानते हैं तथा स्त्रियों को निम्न। वे स्त्रियों को पुरूषों के अधीन मानते हं। साथ ही, शिक्षा के अभाव के कारण स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं, षोषण व अत्याचार सहती रहती हैं।

3. रूढ़िवादी विचारधारा:

स्त्री व पुरूष असमानता का एक प्रमुख कारण रूढ़िवादी विचारधारा भी है। रूढ़िवादी विचारधारा पुरूषों को उच्च या श्रेष्ठ मानती है तथा महिलाओं को निम्न स्तर का दर्जा प्रदान करती है। इस विचारधारा के अनुसार महिलाओं की स्थिति पुरूषों के अधीन ही है। महिलाओं को पुरूषों के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करना चाहिए व पुरूषों के आदेषों का पालन करना चाहिए।

4. परिवारिक पुत्र मोह:

परिवारिक पुत्र मोह भी लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण है। हमारे हिन्दू धर्म में कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल पुत्र ही कर सकते हैं, पुत्रियाँ नहीं। यही कारण स्त्री-पुरूष असमानता पर बल देता है। साथ ही कुल या पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य भी पुत्रों द्वारा किया जाता है। परिवार की यह मानसिकता भी स्त्री-पुरूष असमानता पर बल देती है।

5. स्त्रियों की सहनषीलता:

स्त्रियों का सहनषील होना भी उनके साथ हो रहे भेदभाव, असमान व्यवहार व षोषण का प्रमुख कारण है। अधिकांषतः स्त्रियाँ सहनषील होती हैं या कहें कि उनका पालन-पोषण ही इस प्रकार से किया जाता है कि उनमें सहनषीलता का गुण आये। सहनषील होने के कारण महिलायें स्वयं पर हो रहे अत्याचार व भेदभाव को सहती रहती हैं। वे इन सबका विरोध नहीं करतीं।

लैंगिक असमानता के क्षेत्र:

1. सामाजिक क्षेत्र में:

भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य 'भोजन की व्यवस्था करना व बच्चों के लालन-पोषण तक ही सीमित है। घर में लिये जाने वाले निर्णयों में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। यह सभी कथन समाज में लिंग असमानता को अभिव्यक्त करते हैं।

2. आर्थिक क्षेत्र में:

आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरूष के पारिश्रमिक में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के सापेक्ष

कम धन दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसरों में भी पुरूषों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

3. राजनीतिक क्षेत्र में:

सभी दल या कहें कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए भी समानता का दावा करते हैं। परन्तु वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याषी के रूप में टिकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी कोई नियुक्ति करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही कम महिलायें भागीदारी कर पाती हैं किन्तु वर्तमान समय में तो कुछ हद तक महिलायें भी राजनीति में प्रतिभाग कर रही हैं व उच्च पदों पर भी आसीन हैं।

4. विज्ञान के क्षेत्र में:

जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्रगतिषीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर, हम 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध स्व. अब्दुल कलाम जी से तो परिचित हैं किन्तु हम मिसाइल वुमेन आॅफ इण्डिया के नाम से प्रसिद्ध टेसी थाॅमस के नाम से परिचित नहीं हैं।

5. मनोरंजन के क्षेत्र में:

मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का षिकार होना पड़ता है। अक्सर फिल्म में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता बल्कि पुरूषों को मुख्य किरदार समझा जाता है। साथ ही स्त्रियों को पुरूषों की अपेक्षा में पारिश्रमिक भी कम मिलता है। इस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में स्त्री व पुरूष में भेदभाव किया जाता है।

6. खेल के क्षेत्र में:

खेलों में मिलने वाली पुरूस्कार राषि पुरूषों या कहें कि पुरूष खिलाड़ियों को अधिक मिलती है तथा महिला खिलाड़ी को कम मिलती है। चाहें कुष्ती हो या क्रिकेट हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही पुरूषों के खेलों का प्रसारण अधिक होता है तथा महिलाओं के खेलों का प्रसारण बहुत ही कम होता है।

लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय:

1. कन्या भ्रूण हत्या पर रोक,
2. महिला सुरक्षा हेतु जागरूकता,
3. स्त्री शिक्षा पर बल,
4. विचारों में नवीनता लाना,

5. महिला सषक्तिकरण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।

महिला सषक्तिकरण:

महिला सषक्तिकरण का अभिप्राय है, "महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि क्षेत्र में सषक्त बनाकर उन्नत करना।" स्त्री-पुरूष असमानता को दूर करने में महिला सषक्तिकरण की अहम भूमिका रही है। महिला सषक्तिकरण स्त्री-पुरूष समानता पर बल देता है व महिलाओं को सषक्त बनाने हेतु प्रसायरत है।

भारत में महिला सषक्तिकरण व सावित्री बाई फुले:

सावित्री बाई फुले को भारत में 'महिला सषक्तिकरण की जनक' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पति 'महात्मा ज्योतिबा फुले' के साथ मिलकर अस्पृष्यता, आधिपत्य, जातिवादी व्यवस्था, समाज विरोधी व यथास्थितिवादी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़कर महिलाओं की शिक्षा के लिए क्रान्तिकारी अभियान षुरू किया। वास्तव में यह भारतीय समाज में महिलाओं के समय सषक्तिकरण की दिषा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

सावित्री बाई फुले, जो नारी षक्ति की प्रतीक हैं और वह नारी सषक्तिकरण की महान क्रान्ति की अग्रदूत बनीं। वर्तमान में नारी सषक्तिकरण का विषय केन्द्र और राज्य सरकारों का मुख्य केन्द्र बन गया है, जिसका पूर्ण श्रेय भारत की पहली महिला शिक्षिका 'सावित्री बाई फुले' को जाता है।

उद्देष्य:

इस विषय को चुनने का उद्देष्य यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्त्री-पुरूष के बीच प्रारम्भ से ही प्रत्यक्ष रूप से अपने आस-पास देख रहे भेदभाव व उनके कारणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। साथ ही, इससे सम्बन्धित अध्ययन कर समाज से इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ।

साहित्य की समीक्षा:

षोध-पत्र में उन कारकों या संरचनाओं की जाँच करने का प्रयास किया गया है जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

दत्ता व सेन, 2020 के अनुसार, जिन लड़कियों ने माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी की वे बाल-विवाह के सम्पर्क में कम आयीं। इस बीच उन्होंने यह भी पाया कि पष्चिम बंगाल के कुछ जिलों में कम उम्र में बाल-विवाह के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बहुत जागरूकता थी लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच 26.17 प्रतिषत लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ देती थीं।

शोधकर्ता ने कम उम्र में विवाह और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने के बीच के सम्बन्ध पता लगाने की भी कोषिष भी की। सेन व मोदक को दिलचस्प तथ्य यह मिले कि आय या खराब वित्तय स्थिति वाले परिवार पष्चिम बंगाल में कम उम्र में बाल-विवाह का कारण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा की कमी हमारे समाज में बाल-विवाह को बढ़ावा देती है।

बनर्जी व डफ्लो के अनुसार, अगर लड़कियों के लिये स्कूली शिक्षा के बाद की स्थायी आय की व्यवस्था हो और माता-पिता को दिखाई दे, तो यह आर्थिक मूल्य माता-पिता को लड़की की शिक्षा के लिए निवेष करने में मदद करेगा।

यूनिसेफ के अनुसार, हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव के मुख्य दो कारण हैं: 1. गरीबी, 2. सांस्कृतिक मान्यतायें।

लड़कियों की शिक्षा का महत्व अभी भी उन परिवारों के लिये एक दूर की सच्चाई है जो सामर्थ के आधार पर लड़कियों की बजाय लड़कों को चुनते हैं।

एनजीओ पैन इण्डिया अध्ययन रिर्पोट के आधार पर, भारत में 23 प्रतिषत लड़कियाँ यौवन प्राप्त करने के पष्चात् स्कूल छोड़ देती हैं।

लिंग असमानता सैद्धान्ति ढांचा:

2017 में, पूर्णकालिक कामकाजी महिलाओं ने पुरूषों द्वारा कमाये गये प्रत्येक डालर के लिये 80.5 सेंट कमाये, जिसका अर्थ है कि लिंग वेतन अंतर 19.5 प्रतिषत है। यह अंतर अष्वेत व हिस्पैनिक महिलाओं के लिये और भी अधिक स्पष्ट है।

1. संघर्ष सिद्धान्त:

इस सिद्धान्त के अनुसार, समाज सामाजिक समूहों के बीच प्रभुत्व के लिये संघर्ष है जोकि दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब समाजषास्त्री इस दृष्टिकोण से लिंग की जाँच करते हैं, तो वे आमतौर पर पुरूषों को प्रमुख व महिलाओं को अधीनस्थ समूह के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

2. प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद:

इस सिद्धान्त का उद्देष्य मानवीय अंतःक्रिया में प्रतीकों और अर्थ-निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका का विष्लेषण करके मानव व्यवहार को समझना है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भी पुरूष ऋण-आधिकारी से मिलते हैं तो आप पुरूषत्व से जुड़ी व्यवहारिक, विष्लेषणात्मक विषेषताओं को आकर्षित करने के साधन के रूप में उन सभी ठोस संख्याओं को सूचीबद्ध करके अपना मामला तार्किक रूप से बता सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप किसी महिला ऋण-आधिकारी से मिलते हैं तो आप स्त्रीत्व से जुड़ी सहानुभूतिपूर्ण, पोषण करने वाली

विषेषताओं को आकर्षित करने के साधन के रूप में एक अच्छे इरादे को बातकर भावात्मक अपील कर सकते हैं।

कार्यविधि:

इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि व प्रत्यक्ष अवलोकन विधि के प्रयोग से अध्ययन किया गया है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त षोध हेतु शोधार्थी द्वारा एकत्र किये गए आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले गये है कि स्त्री-पुरूष में प्रत्येक क्षेत्र में असमानता पायी जाती है। पुरूष के सापेक्ष स्त्री के साथ भेदभाव किया जाता है। विभिन्न व्यवसायों मं भी स्त्रियों की स्थिति में सार्थक अंतर है। विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए दिये गये उपायों में सार्थक अंतर नहीं है। विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव में सार्थक अंतर नहीं है। महिला सषक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अंतर नहीं है।

हम यह कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता को समाप्त करना अत्यंत आवष्यक है। लिंग समानता के द्वारा ही समाज का वास्तविक विकास संभव है।

संदर्भ

1- Ranjan (Manrega and women empowerment)
2- The Hindu (Newspaper)
3- www.ajantaajournal.com
4- www.swadeshnews.in.cdn.ampproject.org
5- www.wikipedia.com
6- www.youtube.com

Corresponding Author: Akasha Bharti
E-mail: akashbharti1851@gmail.com
Received: 04 November, 2024; Accepted: 12 November, 2024. Available online: 30 November, 2024
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License